उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 111 / ऋण–लक्ष्य / समीक्षा / 2016–17 दिनांकः 14-02-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–108 / लेखा–1 / 16–17 दिनांक 06.02.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शाखाओं पर वसूल की जाने वाली धनराशि में से 50 % धनराशि प्रधान कार्यालय प्रेषित करने एवं अवशेष 50 % धनराशि में से शाखा पर ऋण वितरण, प्रबन्धकीय व्यय एवं अन्य व्ययों में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप अवगत ही हैं कि बैंक का वित्तीय वर्ष 2016–17 में ऋण वितरण का लक्ष्य रु0 911.25 करोड़ निर्धारित है जिसके सापेक्ष दिनांक 31.01.2017 तक रु0 230.99 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है, जो लक्ष्य का 25.35 % है। आप यह भी भली–भॉति जानते हैं कि बैंक का एक मूल उद्देश्य ऋण वितरण करना भी है। शाखाओं द्वारा जो भी ऋण वितरण किया जाता है तथा वितरित ऋण से ब्याज के रुप में से जो आय अर्जित होती है उसका सीधा प्रभाव बैंक की वित्तीय तरलता पर पड़ता है। इस वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में लगभग दो माह अवशेष है, बैंक के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु यह परम आवश्यक है कि शाखाएं अपने ऋण वितरण के लक्ष्य की पूर्ति शत–प्रतिशत सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बैंक के परिपत्र संख्या सी–108 / दिनांक 06.02.2017 में निर्धारित मानकों के अनुरुप प्रत्येक शाखा यह सुनिश्चित करें कि शाखा पर सहकारी देयों की वसूली में सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से कार्यवाही करते हुए लक्ष्य के अनुरुप अधिक से अधिक वसूली करें, ताकि वसूली की धनराशि से निर्धारित मानकों के अनुरुप प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। शाखा पर लक्ष्य के अनुरुप ऋण वितरण होने से शाखा निश्चय ही लाभ की श्रेणी में आना सम्भावित होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ऋण वितरण के लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

13.02.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महा प्रबन्धक(कम्प्यू0) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ को बैंक की शाखाओं के ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त मण्डलीय / जनपदीय,पर्यवेक्षक,उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त अधिकारी / योजनाधिकारी,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0 / प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
4. समस्त सहायक आयुक्त / जिला सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त / उपनिबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबंधक।
7. निजी सचिव(आयुक्त एवं निबंधक)सहकारिता, को आयुक्त एवं निबंधक महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
9. निजी सचिव(सभापति),उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

14.02.17

(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0 / ऋण)